न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 18/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—53 आरटीए

1. रीतू चौधरी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट कड़वा साकिन लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) वादीया

बनाम्

1. बृजलाल } पि.मन्शा
2. केसराम राम
3. मीरा देवी पत्नी लेखराम
4. उदयपाल
5. भगवानदास } पि.लेखराम
6. सुमन

} जाति थोरी नायक निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

7. विनोद कुमार पुत्र सुगनादेवी पत्नी प्रेमसुख
8. सुनील कुमार पुत्र सुशीलादवी पुत्री प्रेमसुख
9. अनिल कुमार } पि.भीमराज
10. अनिरूद्व कुमार
11. दमयन्ती पत्नी भीमराज
12. बलराम
13. हरीराम
14. साहबराम राज.
15. निराणी } पि. रामरख
16. सावित्री
17. सन्तोष
18. इन्दु

} जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

19. माया
20. गुड्डीदेवी पत्नी मनीराम
21. कुलदीप
22. ममता
23. मनीता } पि.मनीराम
24. शीतल
25. विकास

} जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।

26. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता — वादीया

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादीया एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 25 संयुक्त खाता चक नं. 2 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या 67/61 के खातेदार काश्तकार है। जिसमे वादीया 423 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी

हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीया एवं प्रतिवादीगण का आपस में अर्सा दराज पूर्व में घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा के वादीया के हिस्से में निम्नानुसार भूमि आई है। चक नं. 2 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 67/61 पं.नं. 155/221 मु.नं. 55 किला नं. 17,23,24/0.759 है. 25/ 0.228 है. पं.नं. 156/221 मु.नं. 56 किला नं. 21,22,23/0.759 है. पं.नं. 155/222 मु.नं. 63 किला नं. 3,4/0.506 है. 5/0.228 है. 6/0.228 है. 7/0.253 है. पं.नं. 156/222 मु.नं. 62 किला नं. 1,2,3/0.759 है. किला नं. 8,9,10/0.759 है. 4.479 है.गै.मु. 0.075 है. कुल बराबर 4.554 है. मय गैर मु. वादीया ने घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काफी श्रम कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है। इसलिए वादीया अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने मुश्तहक एवं दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कब्जा काश्त कृषि भूमि का खाता तकसीम करवा लेवे। किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे अतः अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। बस यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 की तरफ से संजय साहेवाल अधिवक्ता ने वकालतनाामा पेश किया। लेकिन उपस्थित अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 9 की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत न कर दिनांक 17.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 9 अनिलकुमार की ओर से हिदायत पेरवी नही के हस्ताक्षर किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 9 हिदायत पैरवी नही के हस्ताक्षर किये है का नोटिस जारी किया गया जो प्रतिवादी संख्या 9 को स्वंय तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रतिवादी संख्या 26 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया रीतूचौधरी पुत्री विनोद कुमार की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस वकील वादीया सुनी गई। वकील वादीया ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 सहकाश्तकार है। इनकी तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक एवं समाचार पत्र से करवाये जाने पर भी उपस्थित नही हुये है। इसलिए वादीया का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 चक 2 एलएलडब्ल्यू के अवलोकन से यह साबित है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादिया अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादिया खाता विभाजन की अधिकारी है। वाद की दफा 3 के मुताबिक खाता अलग कायम किया जावे। अतः वादीया खाता विभाजन की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 तामील के बावजूद उपस्थित नही आने से

इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण वाद वाादीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि वादीया का चक नं. 2 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 67/61 पं.नं. 155/221 मु.नं. 55 किला नं. 17,23,24/0.759 है. 25/ 0.228 है. पं.नं. 156/221 मु.नं. 56 किला नं. 21,22,23/0.759 है. पं.नं. 155/222 मु.नं. 63 किला नं. 3,4/0.506 है. 5/0.228 है. 6/0.228 है. 7/0.253 है. पं.नं. 156/222 मु.नं. 62 किला नं. 1,2,3/0.759 है. किला नं. 8,9,10/0.759 है. 4.479 है.गै.मु. 0.075 है. कुल बराबर 4.554 है. मय गैर मु. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 18/2019

1 रीतू चौधरी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट कड़वा साकिन लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) वादीया

बनाम्

1 बृजलाल
2 केसराम राम } पि.मन्शा
3 मीरा देवी पत्नी लेखराम
4 उदयपाल
5 भगवानदास
6 सुमन } पि.लेखराम
} जाति थोरी नायक निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज

7 विनोद कुमार पुत्र सुगनादेवी पत्नी प्रेमसुख
8 सुनील कुमार पुत्र सुशीलादवी पुत्री प्रेमसुख
9 अनिल कुमार
10 अनिरूद्ध कुमार } पि.भीमराज
11 दमयन्ती पत्नी भीमराज
12 बलराम
13 हरीराम
14 साहबराम
15 निराणी
16 सावित्री
17 सन्तोष
18 इन्दु
19 माया } पि. रामरख
} जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.

20 गुड्डीदेवी पत्नी मनीराम
21 कुलदीप
22 ममता
23 मनीता
24 शीतल
25 विकास } पि.मनीराम
} जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।

26 तहसीलदार राजस्व संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वादीया मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण .... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीया में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादीया का चक नं. 2 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 67/61 पं.नं. 155/221 मु.नं. 55 किला नं. 17,23,24/0.759 है. 25/ 0.228 है. पं.नं. 156/221 मु.नं. 56 किला नं. 21,22,23/0.759 है. पं.नं. 155/222 मु.नं. 63 किला नं. 3,4/0.506 है. 5/0.228 है. 6/0.228 है. 7/0.253 है. पं.नं. 156/222 मु.नं. 62 किला नं. 1,2,3/0.759 है. किला नं. 8,9,10/0.759 है. 4.479 है.गै.मु. 0.075 है. कुल बराबर 4.554 है. मय गैर मु. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक में रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही अमल दरामद किया जावे।

यह डिक्री आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: